रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241098 CG-DL-E-15122022-241098

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5606]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944

No. 5606]

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5842(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर जलगांव से महाराष्ट्र / गुजरात सीमा के खंड (कि. मी. ६०६.००० से की. मी. ६५०.७९४) तक के भूखंड के निर्माण (चार लेन बनाने / चौड़ा करने / बायपास सहित इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है। जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपित्त सक्षम प्राधिकारी, अर्थात उप विभागीय अधिकारी,नंदुरबार विभाग, नंदुरबार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपित्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपित्तयों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपित्तयों को अनुज्ञात कर सकेगा।

8341 GI/2022 (1)

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना में अधिसूचित गट नंबर में किसी भी प्रकार के लेन देन और गट नंबर की प्रकृति में परिवर्तन को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक रोक दिया गया है।

## अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६ पर प्रस्तावित जलगांव से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा के खंड (कि.मी. ६०६.००० से कि.मी. ६५०.७९४) तक प्रस्तावित विस्तारण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम:	महाराष्ट्र	जिले का न	ाम: नंदुरबार						
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति		भूमि का क्षेत्रफल				
				(स्थानीय इकाई)	(हेक्टेयर)				
तालुक का नाम: नवापुर									
गांव का नाम: गंगापुर									
1	62/1	निजी	अकृषि	2,100.000000(वर्ग मीटर)	0.2100000				
गांव का नाम: कोठडे									
1	96/6/C	निजी	कृषि	3,687.0000000(वर्ग मीटर)	0.3687000				
2	98/1/A/1	निजी	कृषि	441.000000(वर्ग मीटर)	0.0441000				
3	98/2/A	निजी	कृषि	8,150.000000(वर्ग मीटर)	0.8150000				
4	98/2/B	निजी	कृषि	500.000000(वर्ग मीटर)	0.0500000				
	1.4878								

[फा. सं. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2022

**S.O. 5842(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH-06 (New NH53) in the stretch of land from Km. 606+000 to Km. 650+794 (Fagne-Maharashtra /Gujrat Border Section) in the district of Nandurbar in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Nandurbar division, Nandurbar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

The any type of transaction and change in nature of gut numbers notified in this notification has been freezed till the land acquisition procedure will complete.

#### **SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH53 in the stretch of land from Km. 606+000 to Km. 650+794 (Fagne-Maharashtra /Gujrat Border Section) in the district of NANDURBAR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: NANDURBAR						
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land		Area			
				(in Local Unit)	(in Hectare)			
Taluk: Nawapur								
Village: Gangapur								
1	62/1	Private	Non - Agriculture	2,100.000000(Square Meter)	0.2100000			
Village: Kothade								
1	96/6/C	Private	Agriculture	3,687.000000(Square Meter)	0.3687000			
2	98/1/A/1	Private	Agriculture	441.0000000(Square Meter)	0.0441000			
3	98/2/A	Private	Agriculture	8,150.000000(Square Meter)	0.8150000			
4	98/2/B	Private	Agriculture	500.0000000(Square Meter)	0.0500000			
Total 14,878.0000								

[F. No. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3A]
RAJESH GUPTA, Director